

# भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर,  
उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की  
जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप  
से आने-जाने दें और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा  
प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME  
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE  
TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS  
FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM  
OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE  
OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से  
BY ORDER OF  
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



(एन.एल.पि. चौधरी /N.L.P. Choudary)  
पासपोर्ट अधिकारी  
Passport Officer  
पासपोर्ट कार्यालय  
Passport Office  
विशाखापट्टनम्  
VISAKHAPATNAM

# भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA




सत्यमेव जयते

पासपोर्ट  
PASSPORT

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं। This Passport contains 36 pages.







34

वीजा / VISA



पिता / कानूनी अधिभावक का नाम/ Name of Father / Legal Guardian

**NAVEEN KUMAR NAMMI**

माता का नाम/ Name of Mother

**VENKATA NAGA SRI DIVYA KILLADA**

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

**57-3-7/c, DURGA NAGAR**

**GOLLA KANCHRAPALEM, VISAKHAPATNAM URBAN**

**PIN:530008, ANDHRA PRADESH, INDIA**

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं खाली/ Old Passport No. with Date and Place of Issue

फाईल नं / File No.

**VS1062749903320**

U10600101

U10600101

### पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करवाएं।

### चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में निकटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तक्ताल दी जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही डालीकेट पासपोर्ट जारी किया जाए।

### REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

### CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

# भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर,  
उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की  
जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप  
से आने-जाने दें और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा  
प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME  
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE  
TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS  
FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM  
OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE  
OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से  
BY ORDER OF  
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



Reprashan  
Binaya S.Pradhan  
Consul General of India  
New York



# भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA



सत्यमेव जयते

पासपोर्ट  
PASSPORT


इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठे हैं। This Passport contains 36 pages.

चीज़ा / VISA

3



P<INDNAMMI<<NAHUSH<VIVASVAT<<<<<<<<<



पिता / कानूनी अधिभावक का नाम/ Name of Father / Legal Guardian

**NAVEEN KUMAR NAMMI**

माता का नाम / Name of Mother

**VENKATA NAGA SRI DIVYA KILLADA**

पति या पत्नी का नाम/ Name of Spouse

पता / Address

**57-3-7/c, DURGA NAGAR**

**GOLLA KANCHARAPALEM, VISAKHAPATNAM**

**PIN: 530008, ANDHRA PRADESH, INDIA**

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि लें स्थल / Old Passport No. with Date and Place of Issue

**U1868849**

फाईल नं / File No.

**US2075372379724**



B6233395

**VISAKHAPATNAM**

**14/01/2020**

### पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करवाएं।

### चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट नुम ही जाने, घोरी ही जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में निकटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

### REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

### CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

### Warning

If holder acquires nationality of another country, he/she should surrender this passport to the nearest Indian Mission/Post abroad. Unauthorized possession of this document shall constitute an offence punishable under the Indian Passport Act, 1967.

### टिप्पणी / OBSERVATION

### महत्वपूर्ण सूचना / IMPORTANT INFORMATION